राज्य सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने आहोर में जालोर जिले के 338 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया।

जालोर/जयपुर, 17 दिसम्बर। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में कानून का इकबाल बुलंद करते हुए भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 200 कार्मिकों को अनुशासनहीनता सहित, विभिन्न प्रकरणों में निलंबित किया गया है तथा 34 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी है।

शर्मा बुधवार को आहोर (जालोर) में ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविर तथा जालोर जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आज जालोर में 338 करोड रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण व शहरी समस्या समाधान शिविर में लोकतंत्र सैनानियों से मुलाकात की व दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। उन्होंने लाभार्थियों को पट्टे विलेख, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना सहित विभिन्न योजनाओं के चैक वितरित किए।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को आहोर में जालोर जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र व चेक वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख 18 हजार किसानों के खेतों में 10 हजार 432 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे भेजी गई है।

आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने अपने संबोधन में राज्य सरकार द्वारा जालोर और आहोर विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को रेखांकित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सैनानियों से मुलाकात और दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। उन्होंने ग्रामीण और शहरी शिविरों का अवलोकन किया और लाभार्थियों को पट्टे विलेख, गोपाल क्रेडिट योजना सहित, विभिन्न योजनाओं के चेक वितरित किए।

कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री के.के. विश्नोई, विधायक जीवाराम चौधरी सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

एच वन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

10,400 से ज्यादा कर्मचारियों की थीं, पर 1,00,000 डॉलर की फीस लगती, जिसमें वीज़ा शुल्क के रूप में कुल रकम एक अरब डॉलर से भी अधिक हो गई होती।

टाटा को इस अवधि में 6,500 कर्मचारियों के लिए फीस देनी पड़ती, जो नए स्वीकृत एच-1बी कर्मचारियों का 82 प्रतिशत है। वहीं कॉग्निज़ेंट को 5,600 से अधिक कर्मचारियों, यानी 89 प्रतिशत नई एच-1बी नियुक्तियों के लिए यह शुल्क चुकाना पड़ता। भले ही कानूनी चुनौतियों के जरिए इस शुल्क को जल्दी रोक दिया जाए, लेकिन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वीज़ा की मांग में भारी गिरावट आएगी और अधिक कर्मचारियों को विदेशों में ही तैनात किया जाएगा।

इमिग्रेशन वकील जोनाथन वासडेन, जो कई आईटी नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा, हम पहले से ही ऐसा होते देख रहे हैं। डर यह है कि अगर विदेशों में वास्तव में असाधारण प्रतिभा हैं, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से अवसर से वंचित रह जाएंगे।

'अरे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थरूर के खिलाफ कडी कार्रवाई करने का दबाव भी डाला। मनीष तिवारी भी इस समय खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी उनका उचित स्थान नहीं मिल रहा था, लेकिन उनका एसआईआर पर पहला भाषण आंखें खोलने वाला और सराहनीय प्रयास था, जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने के रूप में देखा गया।

अब तक राहुल गांधी का रुख यही था कि "अगर पार्टी छोड़नी है, तो आप यह करने के लिए स्वतंत्र हैं", लेकिन लगता है कि हाल के समय में उनका रुख बदल गया है।

'दिल्ली में अब बीएस-4 या उससे अधिक स्टैंडर्ड के वाहन ही चलेंगे'

दिल्ली में प्रदूषण में कटौती करने के सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया

नयी दिल्ली,17 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि दिल्ली में केवल ऐसे वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जाएगी, जो बीएस-4 उत्सर्जन मानक या उससे ऊपर की श्रेणी के हैं।

न्यायालय के इस नए स्पष्टीकरण के बाद अब अधिकारी उन पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे, जो बीएस-चार मानकों को पूरा नहीं करते हैं। वहीं, बीएस-4 या नये वाहनों को उनकी समय सीमा पूरी होने के बावजूद चलाने की अनुमति है।

- **इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दस साल पुराने डीज़ल वाहनों व 15 साल पुराने पैट्रोल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी।**

न्यायालय का यह नवीनतम आदेश, उसके गत 12 अगस्त के उस पिछले आदेश में संशोधन करता है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और पंद्रह साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली की पीठ ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर यह स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें शहर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए पुराने वाहनों पर कार्रवाई की अनुमति मांगी गई थी।

उपराष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच संवाद का उद्देश्य आपसी समझ और सहयोग के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक पहलों को सशक्त करना बताया गया।

दिल्ली में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी कहा गया है कि ग्रैप-3 और ग्रैप-4 के तहत काम बंद होने के कारण प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दिल्ली सरकार मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये देगी। नये जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राहुल गांधी व सोनिया गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्वामी द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दायर की गई एक निजी शिकायत पर आधारित था, न कि एफआईआर पर।

इसे गांधी परिवार के लिए एक तरह से "राहत" माना गया, लेकिन भाजपा के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीया ने इसे "भ्रामक हैडलाइन और दावा" करार दिया, क्योंकि इसमें "कोई राहत नहीं थी।"

मालवीया के अनुसार, अदालत ने "कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यु) ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, इसलिए ईडी नए सिरे से केस को आगे बढ़ा सकता है। एफआईआर के कारण ईडी की दलीलें पीएमएलए के तहत वैध और प्रक्रियागत रूप से मान्य हो जाती हैं।"

उन्होंने कहा, "असल में, अदालत ने ईडी की चार्ज शीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि इसमें प्रक्रिया संबंधी गलतियां थीं, जिनमें पीएमएलए के तहत निर्धारित एफआईआर का नहीं होना भी शामिल था। भाजपा नेता यह तर्क कर रहे हैं। यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि गांधी परिवार और उनके सहयोगियों ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग करके एजेएल (नेशनल हैरल्ड का प्रकाशक) पर नियंत्रण प्राप्त किया था, और इसमें 90 करोड़ रुपये के ऋणों का हेरफेर भी शामिल था।

- **जैसा कि विदित ही है, न्यायालय के निर्णय के अनुसार, ईडी ने केवल एक व्यक्ति, सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर नैशनल हैरल्ड के मामले में मनी लॉण्डरिंग की जाँच शुरु कर दी थी, यह गैर कानूनी है, क्योंकि पहले एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद ही मनी लॉण्डरिंग कानून के तहत जाँच हो सकती है।**

'भारत का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और पार्टी की विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी।

यह पांच दिवसीय दौरा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान घोषित किया गया था, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने इसकी व्यापक आलोचना की थी। उनका आरोप है कि राहुल गांधी की बार-बार की विदेश यात्राएं कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके समर्पण पर सवाल उठाती हैं।

'हम सैवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रैली में यह बात कही, "सेवन सिस्टर्स भारत से अलग कर दी जाएगी।" यह रैली उन लोगों के खिलाफ आयोजित की गई थी, जो एक अन्य छात्र नेता, उस्मान हादी के हमले में शामिल थे, और यह दावा किया जा रहा था कि आरोपियों को भारत से समर्थन मिल रहा है। अब्दुल्ला द्वारा की गई यह उत्तेजक टिप्पणी उस समय आई, जब बाँग्लादेश इस सप्ताह के शुरु में अपना 55वां विजय दिवस मना रहा था। इस बीच, भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है तथा विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, "हम उम्मीद करते हैं कि बांगलादेश की अंतरिम सरकार आंतरिक कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी, जिससे शांतिपूर्ण चुनावों के आयोजन का उद्देश्य भी पूरा हो सके।

'सबका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थानांतरण के लिए पूर्वानुमति की जरूरत नहीं होगी। पहले यह सीमा एक प्रतिशत थी। सभी बीमा कंपनियों और बिचौलियों के लिए अपने नाम में "बीमा" शब्द रखना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, **कोटा कार्यालय** : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **बीकानेर कार्यालय** : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **जालोर कार्यालय** :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय** :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय** : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908